[25/2/2026]

परिशिष्ट - "अ"
अतारांकित प्रश्न क्र. 1774

प्रश्न सं. [क्र. 1774]

मध्यप्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय वल्लभभवन

-: आदेश :-

भोपाल दिनांक 29 जून 2011

कमांक एफ 2(क) 29/10/बी-3/दो, राज्य शासन द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदस्थ सुरक्षा कर्मियों को केवल वेतन (ग्रेड पे छोड़कर) का 30 प्रतिशत की दर से विशेष वेतन निम्न शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-

1. यह विशेष वेतन केवल उक्त दोनों प्राधिकारियों की सुरक्षा में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को देय होगा।
2. नियमित अवकाश अवधि के दौरान यह भत्ता देय नहीं होगा।
3. ग्रेड-पे रूपये 5400 या इससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को इसकी पात्रता नहीं होगी।
4. यदि पद/स्थापना में परिवर्तन होता है, तो तत्काल प्रभाव से यह विशेष वेतन बंद कर दिया जावेगा।

2- यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0 क0 711/716/ब-8/चार/11, दिनांक 06-06-2011 द्वारा प्रदान की गई सहमति के परिप्रेक्ष्य में जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
28/6/11
(व्ही.के.वाधवानी)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन गृह विभाग

पृष्ठां. कमांक एफ 2(क) 29/10/बी-3/दो
भोपाल दिनांक 29 जून 2011

प्रतिलिपि:-

1- पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, पुलिस मुख्यालय भोपाल।
2- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल।
3- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
4- आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल,
5- कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल,

28/6
अवर सचिव
म0प्र0 शासन गृह विभाग

अनुभाग अधिकारी
गृह (पुलिस) विभाग
(बी-4)
मंत्रालय, भोपाल.

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट-"ब"
अतारांकित प्रश्न क्र. 774

मध्यप्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ2(क)29/10/बी-3/दो.   भोपाल, दिनांक 25/02/2012

प्रति,

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,
(गुप्तवार्ता) पुलिस मुख्यालय
भोपाल, (म0प्र0)

विषयः– महामहिम राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सुरक्षा में पदस्थ कर्मियों को स्वीकृत विशेष वेतन आदेश में संशोधन बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/विशा/6/पीए/2011–16/2750 दिनांक 11.7.2011.

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

2/ उक्त प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार टीप अंकित की गई है:-

1– वित्त विभाग द्वारा वेतन पर बैंड वेतन का 30 प्रतिशत की दर से विशेष वेतन देने की सहमति दी है। चूंकि पेंशन डीए आदि की गणना में ग्रेड पे शामिल किया जाता है अतः प्रस्तावानुसार विशेष वेतन की गणना हेतु मूल वेतन में ग्रेड पे शामिल करने की सहमति प्रदान की जाती है।

2– विशेष भत्ते संबंधित कर्मचारी के नियमित कार्य करने के दौरान ही दिये जाते है। नियमित अवकाश से आशय EL, HPL, Commuted Leave, EOL, Leave Not Due है। सी.एल. एवं अन्य शासकीय अवकाश में इसकी पात्रता रहेगी।

3– भत्ते का नाम परिवर्तित करने से यदि अन्य कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होते है तो बिन्दु क्रमांक– 4 के प्रस्ताव अनुसार इसे संशोधित कर "जोखिम भत्ता" नामित किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है। यह सहमति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 1291/1149/बी-8/चार/11/ दि0 19/12/ के परिप्रेक्ष्य में प्रदान की जाती है।

27 FEB 2012

(आर0बी0वैष्णव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,गृह विभाग

सत्य–प्रतिलिपि
उप पुलिस अधीक्षक (विधि)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
गृह (पुलिस) विभाग

Scanned with CamScanner